

भाग 1 (ख)

राजस्थान सरकार

राजस्व विभाग,

विज्ञप्ति

जयपुर, अक्टूबर 31, 1973

संख्या 1 (6) (21) राज-8/73:— चूंकि इसके साथ संलग्न अनुसूची में समाविष्ट वन भूमि तथा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार के और प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की जांच और उनका अभिलेखन राजस्थान वन अधिनियम (1953 का राजस्थान अधिनियम संख्या 13) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसरण में किया जा चुका है।

अतः अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय 4 के अनुबन्ध पूर्वोक्त वन भूमि और बंजर भूमि पर लागू होंगे जो कि एतत्पश्चात् रक्षित वन कहलाया जावेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	पट्टि या वन-खण्ड	मौजा	क्षेत्रफल वन-खण्ड या मौजा एकड़ों में	विशेष विवरण
बांसवाड़ा	घाटोल	जगमेर	1 लखेरिया	673.92	सीमा रेखा का विवरण परिशिष्ट (अ) संलग्न है।
		जोगीमाल	2 झरकनिया	220.30	
		पाट (ए)	3 गोलियावाड़ा	308.84	
			4 नेकरेड	234.72	
			5 खेरड़ीपाड़ा ✓	676.48	
			6 भंवरबोड़	229.04	
			7 अमरधुत	1248.38	
			8 नरोत्तों की गोज	1147.18 ✓	
			9 चरड़ा	73.14	
			10 नवाखेड़ा	652.78 ✓	
			11 बारभून ✓	1432.18	
			12 कोनाड़ों का पाड़ा ✓	16.56	
			13 गणेशपुरा ✓	501.50	
			14 जाम्बोई	3051.96	
			15 घाटे की नाल	29.40 ✓	
			16 तेजपुर	6.32	
			17 कुवानिया	1832.50 *	
			18 बन्नाला	8.84	
			19 गौरछा ✓	708.40 ✓	
			20 बरकजिया ✓	321.94 ✓	
			21 सोमपुर ✓	746.76 ✓	
			22 उन्डा खोरा ✓	69.90 ✓	
			23 खरड़ाबरा ✓	2.92	

P.C. Attended.

(हरि किशन मागस्त)
उप वन संग्रहक,
बांसवाड़ा

योग... 14194.60 एकड़ या

22.17 व० मो० या

57.42 कि० मी०